THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 285

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 09/2020 – State Tax

S.O. No. 33, Dated- 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons who are foreign company which is an airlines company covered under the notification issued under sub-section (1) of section 381 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and who have complied with the sub-rule (2) of rule 4 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C to the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules:

Provided that a statement of receipts and payments for the financial year in respect of its Indian Business operations, duly authenticated by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or a Limited Liability Partnership of practicing Chartered Accountants in India is submitted for each GSTIN by the 30th September of the year succeeding the financial year.

3. This notification shall be deemed to be effective from the 16th day of March, 2020.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial Tax Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 09/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 33, दिनांक - 25 जून, 2020 :- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिनसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 का अनुपालन किया है, यदि वह कोई विदेशी कंपनी है, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, को अधिसूचित करती है ।

2. उक्त व्यक्तियों को, उक्त् नियमों के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी आर-9ग में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु, भारतीय कारबार संचलानो के बाबत प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्याक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बर को प्रस्तुत किया है ।

3. यह अधिसूचना 16 मार्च 2020 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

वंदना दादेल,

सचिव, वाणिज्य कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 285 -- 50